बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

प्रधान शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या – 25/2024) में न्यूनतम अर्हतांक एवं EWS कोटि के कट–ऑफ अंक के सम्बन्ध में संशोधित सूचना

आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या – 25/2024) का परीक्षाफल दिनांक 01.11.2024 को प्रकाशित किया गया है। परीक्षाफल प्रकाशन के बाद उक्त परीक्षा में शामिल कुछ उम्मीदवारों, विशेषकर EWS कोटि के उम्मीदवारों द्वारा भ्रमवश परीक्षा के न्यूनतम अर्हतांक (Minimum Qualifying Marks) एवं कट–ऑफ अंक विषयक अनावश्यक ई–मेल किये जा रहे हैं।

इसके सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि राज्य सरकार के कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 की कंडिका 7 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 के आलोक में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अन्तर्गत न्यूनतम अर्हतांक (Minimum Qualifying Marks) एवम् परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांक– 150 के अनुसार उर्त्तीण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक निम्नवत् हैः–

कोटि	निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक	सफल होने हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक (पूर्णांक– 150 के अनुसार)
सामान्य वर्ग (पुरूष) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (पुरूष)	40%	60
पिछड़ा वर्ग (पुरूष)	36.5%	54.75
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष)	34%	51
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कोटि की महिलाएँ एवं दिव्यांग	32%	48

उक्त के आलोक में विज्ञापन संख्या – 25/2024 की कंडिका – 4 में किए गए न्यून्तम अर्हतांक सम्बन्धी प्रावधान के आलोक में इस विज्ञापन के लिए कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्न प्रकार हैः– सामान्य वर्ग (पुरूष) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (पुरूष) – 60, पिछड़ा वर्ग (पुरूष) – 54.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष) – 51 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग– 48.

उपर्युक्त न्यूनतम अर्हतांक (Minimum Qualifying Marks) प्राप्त नहीं करनेवाले उम्मीदवारों को परीक्षाफल हेतु संयुक्त मेधा सूची में शामिल नहीं किया गया है अर्थात् 40% से कम अंक प्राप्त सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों, 36.5% से कम अंक प्राप्त पिछड़ा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों, 34% से कम अंक प्राप्त अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों एवं 32% से कम अंक प्राप्त सभी कोटि की महिलाएँ एवं दिव्यांग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया गया है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्तर्गत न्यूनतम प्राप्तांक 60 तक वाले पुरूष उम्मीदवार (दिव्यांग पुरूषों को छोड़कर) ही संयुक्त मेधा सूची में शामिल एवं सफल घोषित हैं। इस कोटि के 60 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले पुरूष उम्मीदवारों (दिव्यांग पुरूषों को छोड़कर) को संयुक्त मेधा सूची में शामिल नहीं किया गया है। पर्याप्त संख्या में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस कोटि के महिलाओं एवं दिव्यांग उम्मीदवारों सहित सभी उपलब्ध उम्मीदवार EWS कोटि के अन्तर्गत गुणागुण के आधार पर सफल घोषित हैं। इस कोटि के उम्मीदवारों की कमी के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना सं॰ 2622, दिनांक 26.02.2019 की कंडिका– 7 के आलोक में खुली गुणागुण कोटि से उम्मीदवारों का चयन किया गया है। गुणागुण के आधार पर सफल होने के कारण पुरूष दिव्यांग उम्मीदवारों के नाम के समक्ष Disabled अंकित नहीं है जिससे उम्मीदवारों के मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि महिलाओं एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32% अर्थात् 48 अंक है। इस कोटि के अन्तिम सफल पुरूष (दिव्यांग) एवं महिला के अंक क्रमशः 48–48 हैं जो उक्त कोटि के कट–ऑफ अंक हैं।

नोटः– इस सम्बन्ध में आयोग के वेबवाईट पर दिनांक 13.11.2024 को प्रकाशित आवश्यक सूचना को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

14.11.2024

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना